भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2013

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपाय

2013 श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्थलों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित अथवा सुदृढ़ किए गए ट्रॉमा केयर सेंटर, एम्बुलेंस सेवाओं तथा आपातकालीन चिकित्सा अनुक्रिया सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी उपलब्धता हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिभारित वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन प्रक्रिया को तीव्र किया है, यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वेट-इन-मोशन स्टेशनों, संचालित प्रवर्तन अभियानों, जुर्माना लगाए गए वाहनों, अधिरोपित शास्तियों तथा अतिभारण पर अंकुश लगाने एवं सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर कुछ निरंतर खंडों की पहचान की गई हैं, जो दुर्घटना बाहुल्य स्थलों (ब्लैक स्पॉट) के मानदंडों को पूरा करते हैं, अर्थात् ऐसे स्थान जहां बार-बार कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें मृत्यु और गंभीर चोटें होती हैं। इन खंडों की पहचान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर द्वारा विकसित एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की गई है। 2023-2025 की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) से उपलब्ध दुर्घटना डेटा के आधार पर 6,358 ब्लैक स्पॉट कॉरिडोर की पहचान की गई है। इनका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

ब्लैक स्पॉट को समाप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। ब्लैक कॉरिडोर के तत्काल सुधार के लिए अल्पकालिक उपायों में सड़क चिह्नांकन, संकेतक, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डेलिनेटर, मध्य (मीडियन) में अनधिकृत प्रवेश को बंद करना, यातायात सुचारू करने के उपाय, राजमार्ग पर प्रकाश व्यवस्था आदि शामिल हैं। स्थल (साइट) की आवश्यकता के अनुसार, ब्लैक कॉरिडोर के सुधार के लिए सड़क ज्यामिति

में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक सुधार उपाय भी किए जाते हैं। दीर्घकालिक सुधार कार्यों में भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण जैसे निर्माण पूर्व-कार्य शामिल हैं, जिसमें काफी समय लगता है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "राष्ट्रीय आघात और दग्ध चोट (बर्न इंजरीज़) रोकथाम और प्रबंधन कार्यक्रम" (एनपीपीएमटी एंड बीआई) के तहत देश भर के सरकारी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज में कुल 196 ट्रॉमा केयर सुविधा केंद्र (टीसीएफ) स्वीकृत किए गए थे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके गलियारों (कॉरिडोर) के टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें/परिवहन विभाग मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिभार लदे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए सशक्त हैं।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपाय' के संबंध में श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई द्वारा पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2013 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लैक कॉरिडोर की संख्या
आंध्र प्रदेश	384
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	331
बिहार	174
छत्तीसगढ	99
दिल्ली	23
गोवा	7
गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	182
हरियाणा	210
हिमाचल प्रदेश	11
जम्मू और कश्मीर	73
झारखंड	74
कर्नाटक	607
केरल	386
लद्दाख	1
मध्य प्रदेश	298
महाराष्ट्र	477
मणिपुर	17
मेघालय	3
नागालैंड	4
ओडिशा	194
पुदुचेरी	3
पंजाब	31
राजस्थान	352
सिक्किम	2
तमिलनाडु	958
तेलंगाना	347
त्रिपुरा	7
उत्तर प्रदेश	671
उत्तराखंड	49
पश्चिम बंगाल	382
कुल योग	**6358**
